भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2555** जिसका उत्तर

मंगलवार, 17 दिसंबर, 2024 (26 अग्रहायण, 1946 (शक)) को दिया जाना है

पोत परिवहन के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन

2555 श्री एस. कल्याणसुन्दरम :

क्या **पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत के पोत परिवहन उद्योग की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों का अधिकाधिक उपयोग कर रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख) सीओपी26 में माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुरूप, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर-जीवाश्म स्त्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। 30.11.2024 तक, देश में कुल 205.52 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 94.17 गीगावाट सौर ऊर्जा, 47.96 गीगावाट पवन ऊर्जा, 11.34 गीगावाट जैव-ऊर्जा और 52.05 गीगावाट जल विद्युत शामिल है।

सरकार ने महापत्तनों को कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने और पत्तनों के सतत विकास के लिए ढांचा प्रदान करने के लिए "हरितसागर" हरित पत्तन दिशा-निर्देश शुरू किए हैं। अभी तक चार महापत्तन अर्थात् दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण और वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण अपनी बिजली की मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय स्त्रोतों से पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा सृजित कर रहे हैं।

*****